गिरीश कठपालिया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
तीस हजारी न्यायालय
दिल्ली-110054 (भारत)

सत्यमेव जयते

GIRISH KATHPALIA
DISTRICT & SESSIONS JUDGE (HQs.)
TIS HAZARI COURTS
DELHI - 110054 (INDIA)

D.O. No. 52693-893

09 SEP 2019

सेवा में,

समस्त विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली
एवं
आदरणीय विद्वान न्यायिक अधिकारीगण
और प्रिय प्रशासकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण,
केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

N/W Rohini

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) कार्यालय
Office of District & Sessions Judge (North-West)
बाहय डाक प्राप्ति शाखा/Outside Receipt Branch
डायरी सं./Diary. No. 4965
11 SEP 2019
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
Rohini Courts, Delhi

संदेश

हिन्दी दिवस
14 सितम्बर, 2019

"हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2019 के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली परिवार के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।

भारत की सभी भाषाएं हमारे लिये आदरणीय हैं, लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिये राजभाषा हिन्दी के प्रचार की महत्ता है। हिन्दी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रुप में विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हिन्दी भाषा हमारी पहचान और परिभाषा है। राजभाषा के रुप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि विगत वर्षों में जिला न्यायालय दिल्ली के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग उल्लेखनीय रुप से बढ़ा है।

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जनभाषा, दोनों रुपों में, हिंदी के विकास और प्रयोग के प्रति अपने आपको समर्पित करें और अपने दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

गिरीश 09.9.19
गिरीश कठपालिया

माननीय नोडल अधिकारी, हिन्दी अनुभाग।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
District & Sessions Judge (North-West)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
Rohini Courts, Delhi
12/9/19

माननीय न्यायिक
उपरोक्त संदेश को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेषित करें।
मुझे अग्रेषित
नोडल अधिकारी

Phone No.: (O) 011 - 23962529, 23958577 Fax : 011 - 23926742 E-mail : girishkathpalia@hotmail.com

संख्या 27668-27736 / हिन्दी (उप) 2019 दिनांक 13/9/19

(1) सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, ~~अनुभाग अधिकारियों~~ एवं प्रभारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाए।